साइबर सुरक्षा के संकल्प के साथ दौड़े

▶ पुलिस महानिरीक्षक ने किया मैराथन का शुभारंभ

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 7 जुलाई. 'सेफ क्लिक 2.0 - रुको, सोचो, एक्शन लो' साइबर जन-जागरुकता अभियान जारी है. मंगलवार को ईंटखेड़ी थाने के अचारपुरा में भोपाल (देहात) पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षा के प्रति जन-जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से साइबर जागरुकता मैराथन का आयोजन किया गया.

पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल (देहात) जोन, रुचिवर्धन मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित साइबर जागरुकता मैराथन का शुभारंभ किया गया. मिश्रा ने कहा कि डिजिटल युग में साइबर अपराधों के निरंतर बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रत्येक नागरिक का जागरूक एवं सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है. ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी वीडियो कॉल, फिशिंग लिंक एवं अन्य साइबर अपराधों से बचाव के लिए सदैव सतर्क एवं जागरूक रहने तथा सभी से डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित, जिम्मेदारीपूर्ण एवं विवेकपूर्ण उपयोग करने तथा साइबर सुरक्षा का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने की अपील उन्होंने की.

पुलिस अधीक्षक, भोपाल (देहात) पंकज कुमार पाण्डेय ने उपस्थित प्रतिभागियों को डिजिटल माध्यम का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया. साइबर अपराध घटित होने पर तत्काल राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया. सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलाई व 'रुको, सोचो, एक्शन लो' का मूलमंत्र दिया. इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर साइबर जागरुकता मैराथन को रवाना किया. मैराथन अचारपुरा से प्रारंभ होकर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, अचारपुरा रोड, ईंटखेड़ी पर संपन्न हुई. साइबर जागरुकता मैराथन में लगभग 500 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की. कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर ईटखेड़ी एसडीओपी मंजु चौहान भी उपस्थित थीं.

मां से नाराज बच्चा खंडवा से आ गया था भोपाल

भोपाल. रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सहित जीआरपी इकाई भोपाल के स्टेशनों पर अभियान चलाकर बेवजह घूमने वालों को चिन्हित किया जा रहा है. सभी थाना प्रभारियों एवं उप पुलिस अधीक्षक रेलवे को रेलवे क्षेत्र में 31 जुलाई तक विशेष अभियान शुरू किया गया है. 15 साल का खंडवा निवासी एक बालक अपनी मां से नाराज हो कर भोपाल आ गया था. जीआरपी थाना रानी कमलापति स्टेशन के जवानों ने बालक को समझाया.उसके पिता के फोन नंबर पर संपर्क किया. बालक को उसके पिता के सुपुर्द कर दिया. जीआरपी थाना ग्वालियर (एनजी) ने भी 15 साल के एक बालक को, जो शिवपुरी से भटककर रेलवे स्टेशन ग्वालियर आ गया था, उसके पिता के सुपुर्द किया गया. इसके अलावा जीआरपी इटारसी ने खंडवा निवासी दो बालक भटक कर इटारसी रेलवे स्टेशन आ गये थे, उन्हें उनके मामा के सुपुर्द किया गया.

कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम हों

▶ नगर निगम में अपर आयुक्त शर्मा ने ली बैठक

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 7 जुलाई. नगर निगम के अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने मंगलवार को निगम मुख्यालय अटल भवन में कोचिंग संस्थानों, हाईराइज भवनों एवं अन्य संस्थानों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की.

बैठक में भवन स्वामी, संचालक एवं प्रबंधक शामिल हुए. अपर आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी भवनों में फिक्स्ड फायर सिस्टम, पर्याप्त जल भंडारण, क्षमता अनुसार फायर पंप तथा दो आपातकालीन निकास अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों. साथ ही निकास मार्ग पर ज्वलनशील सामग्री या विद्युत उपकरण न रखने और ऑटोमैटिक लॉक डोर नहीं लगाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले बेसमेंट में स्प्रिंकलर एवं ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाए जाएं. प्रत्येक चार माह में मॉक ड्रिल आयोजित करने तथा कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों और कर्मचारियों को फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए. शर्मा ने पूर्व में नोटिस प्राप्त संस्थानों को 200 रुपये के न्यायिक स्टांप पर जवाब प्रस्तुत करने और 30 दिनों के भीतर अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं पूरी करने को कहा. साथ ही सभी संबंधित संस्थानों को 9 जुलाई 2026 तक फायर प्लान एवं शपथ-पत्र निगम मुख्यालय की फायर ब्रिगेड शाखा में जमा कराने के निर्देश दिए.

सार्वजनिक जगह पर पोस्टर लगाने वालों से जुर्माना वसूला

भोपाल. नगर निगम ने सार्वजनिक स्थलों, बिजली के खंभों, दीवारों और अन्य स्थानों पर अवैध रूप से प्रचार सामग्री लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की. इस दौरान विभिन्न जोनों में कुल 79 प्रकरणों में 21,300 रुपये का स्पॉट फाइन वसूला गया .निगम के अनुसार, जोन-13 में 10 प्रकरणों में 9,600 रुपये, जोन-14 में 40 प्रकरणों में 4,400 रुपये, जोन-15 में 20 प्रकरणों में 5,900 रुपये तथा जोन-16 में 9 प्रकरणों में 7,400 रुपये का जुर्माना लगाया गया. निगम अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक संपत्तियों को पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री से खराब करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई जारी रहेगी.

मादक पदार्थों की तस्करी में 2 लोगों को सजा

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 7 जुलाई. अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने के मामलों में दो दोषियों को कारावास की सजा सुनाई गई. मंगलवार को जिला अदालत ने गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को सात माह का कारावास दिया. एक अन्य मामले में डोडा चूरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई.

संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय डॉ. मुकेश मलिक विशेष न्यायाधीश 24वें अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा विभिन्न प्रकरणों मे अवैध मादक प्रदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपीगणों को सजा सुनाई गई. एक मामले मे गांजा तस्करी करने वाले आरोपी राजेश शर्मा निवासी कोलार को 7 माह का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदंड लगाया गया. वही दूसरे एक अन्य मामले मे आरोपी दानिश निवासी करोंद को डोडा चूरा की तस्करी करने के अपराध में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड का निर्णय सुनाया. प्रकरणों में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह एवं मनोज त्रिपाठी ने पैरवी की. पहला मामला थाना कोलार रोड का है. गरीब नगर कॉलोनी में आरोपी राजेश शर्मा को 1 किलो 500 ग्राम मादक प्रदार्थ के साथ पकड़ा गया. दूसरे मामले में थाना निशातपुरा से आरोपी दानिश खान है के घर से डोडा चूरा बेचते पकड़ा गया था.

अड़ीबाजी कर मारपीट करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 7 जुलाई. हनुमानगंज थाना पुलिस ने अड़ीबाजी कर मारपीट के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया.

पुलिस के मुताबिक बीते 23 जून को आरोपी सलमान, तंजीम व राशिद एवं साजिद ने फरियादी अदनान निवासी सिरोंज से काजी कैम्प में शराब पीने के लिए पैसे मांगे. अदनान ने रुपए दने से मना कर दिया.

इस पर अदनान के साथ मारपीट की एवं गाड़ी का कांच तोड़ दिया. प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी सलमान उर्फ घोड़ी के सलीम चौक काजी कैंप के पास घूमने की सूचना पुलिस को मिली. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

बैंक ऑफ़ इंडिया

आंचलिक कार्यालय : भोपाल अंचल बैंक ऑफ इंडिया भवन जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल

फोन: 0755-2556770, 2555169, ई-मेल: bhopal.assetrecovery@bankofindia.co.in

चल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

ऋणी व जमानतदारोंको विशेष रूप से व सर्वसाधारण को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित सुरक्षित ऋण प्रदाता बैंक द्वारा बंधक / प्रभारित चल सम्पत्ति का बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा लिया गया है। बन्धक सम्म की बिक्री **''जो है, जहाँ है, जैसी है एवं जैसी भी स्थिति में है, दायित्व रहित''** के आधार पर की जायेगी ।

ऋणी का नाम	पंजीयन क्रमांक / मेक / मॉडल	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि
शाहगंज शाखा, फोन : 9768048650 — Account to deposit auction sale proceeds- 901490200000033, IFSC- BKID0009014			
सलमान खाँ	RJ17GB6261, Regn. Date: 20.09.2024 Tata Motors Signa 3530 TK8X4BSVIHD 23BX Chasis No. MAT569002R3G21345/B6 Engine No. 7B62300D03142G64400414	₹ 66,65,000/- +देय ब्याज एवं अन्य खर्च	₹ 28,35,000/- / ₹ 2,83,500/-

ई-नीलामी की तिथि एवं समय 28.07.2026, सुबह 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

ई-नीलामी की शर्तें :-

(1) ई-नीलामी /बिडिंग ''ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बिडिंग'' के माध्यम से ''जैसा है जहां है, जो है जैसा है'' एवं ''जो कुछ भी है'' के आधार पर वेबसाइट http://BAANKNET.com पर की जावेगी। इच्छुक निविदाकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व वेबसाइट में नियम एवं शर्तों की जानकारी प्राप्त करें।

(2) वाहन का निरीक्षण दिनांक **23.07.2026** को या उससे पहले सुबह 10 से सायं 5 बजे तक शाखा प्रबंधक /प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है।

(3) बिक्री की पुष्टि होने होने पर सफल खरीदार को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत (जिसमे ईएमडी के लिए पहले भुगतान की गई रकम शामिल हैं) तुरंत जमा करानी होगी एवं शेष 75 प्रतिशत राशि 15 दिन के अंदर ऊपर दिये गए शाखा के अकाउंट नंबर मे जमा करना होगा। निर्धारित समय सीमा मे राशि जमा न करने की स्थिति मे बोलिकर्ता द्वारा जमा राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जायगी।

(4) बोली निर्धारित आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर शुरू होगी। बोली वृद्धि राशि रु. **10000/-** रहेगी।

(5) सफल खरीददार को वाहन पर भुगतान की जाने वाली सांविधिक देयताएं/ असांविधिक देयताएं/ स्टाम्प ड्यूटी / अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/ ट्रांसफर शुल्क / सभी शुल्क / असेसमेंट चार्जेस / अन्य प्रभार जिसमें पंजीयन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, कर, लागू टीडीएस इत्यादि व्ययों का भुगतान करना होगा।

(6) प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी या सभी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने / निरस्त अथवा ई-नीलामी की नियम एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(7) अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त वर्णित दूरभाष क्र. पर संबंधित शाखा प्रबंधक से संपर्क करें: अथवा अंचल कार्यालय, भोपाल फोन : 0755-2556770 / 2555169 से संपर्क करें।

स्थान : भोपाल, दिनांक : 08.07.2026 — प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया

पश्चिम रेलवे-रतलाम

इंजीनियरिंग विभाग ई-टेंडरिंग

क्रम संख्या: 1 | **ई-टेंडरिंग : RTM-2026-27-64** | **कार्य का नाम:** RTM Division - Execution of Various Work as under - 1) Ujjain- Provision and augmentation of crowd holding areas with additional passengers amenities (Simhastha 2028) 2) Ratlam Division - Providing temporary holding area to regulate passengers at Naikheri and Mohanpura , providing toilets and Urinal at 04 Stations Naikheri, Pingleshwar, Ujjain, Mohanpura and providing water arrangement at Laxmibai Nagar (Simhastha 2028) 3) Chintaman Ganesh - Providing temporary holding area to regulate passengers with passenger amenities (Simhastha 2028) | **अनुमानित मात्रा:** As per tender schedule | **अनुमानित लागत:** 42,54,85,643.01 | **बयाना राशि:** 85,09,700.00 | **कार्य समापन अवधि:** 15 Months | As Per Tender Document Special Technical Criteria S.N **वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि:** 04.07.2026 | 1 | **निविदा खुलने की तिथि:** 29.07.2026 | Corrigendum No. 01 (Dated 04.07.2026)- Standard Financial Criterial Added | विस्तृत निविदा सूचना, अहाता शर्ते एवं अन्य शर्ते वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है- **0131**

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

कार्यालय थाना प्रभारी थाना निशातपुरा भोपाल

क्र./था.प्र./नि.पुरा/डी- 478/2026 — दिनांक 28/06/2026

थाना निशातपुरा

सूचना का प्रकाशन

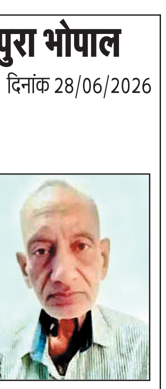

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है थाना निशातपुरा भोपाल के गुम इंसान क्र. 81/2026 गुमशुदा -कमल सिंह पिता भगवान सिंह उम्र 75 साल नि.म.नं.06 कमलेश नगर पलासी करोद भोपाल 13/06/26 को बिना बताऐ घर से चले गऐ है जिनका हुलिया बदन इकैहरा रंग गेंहुआ कद करीब 5.5 फिट सफेद रंग की बनियान सफेद रंग की लुंगी कत्थाई रंग की चप्पल पहने है. जो बिना बताऐ घर से चले गऐ है. जो अब तक घर वापस नही आऐ है जिनका अपने परिवार वालो मे सभी जगह पता कियाहै जिनकी कोई जानकारी नही मिली जिसका थाना निशातपुरा भोपाल मे गुम इंसान क्रमांक 81/2026 कायम कर जाँच मे लिया गया है जिसकी कोई भी जानकारी मिलने पर थाना निशातपुरा भोपाल मो.नं. 7587601924 या 7049104266 पर सूचित करें.

थाना निशातपुरा भोपाल फोन.नं. 07552677390, 9981222700 पर संपर्क कर जानकारी देने का कष्ट करें.

थाना प्रभारी
थाना निशातपुरा, भोपाल (म.प्र.)

दूध व्यवसायी पर हमला कर लूट के नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 7 जुलाई. थाना परवलिया सड़क पुलिस ने दूध व्यवसायी से लिफ्ट के बहाने चाकू से हमला करने वाले नाबालिग आरोपी को पकड़ा. पुलिस ने लूट की 4,800 रुपए और घटना में प्रयुक्त की गई चाकू को बरामद किया है.

पुलिस के मुताबिक ग्राम परवलिया निवासी सुनील उर्फ बब्लू पाल (45) दूध व्यवसायी हैं. सोमवार देर रात वह अपने बेटे को उसकी कंपनी से लेने के लिए स्कूटी से गांधी नगर की ओर जा रहे थे. रास्ते में परवलिया सड़क ब्रिज के आगे एक 16-18 वर्ष के लड़के ने उनसे लिफ्ट मांगी. फरियादी ने उसे गाड़ी पर बैठा लिया. रास्ते में एक ढाबे के आगे हाईवे पर जब फरियादी सुनील ने पेशाब करने के लिए गाड़ी रोकी, तभी पीछे बैठे लड़के ने उन पर चाकू अड़ा दिया और पैसे मांगने लगा.

फरियादी ने बचने का प्रयास किया, तो आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया और सुनील से 4,800 रुपए लूटकर फरार हो गया था.

सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती कर दुष्कर्म, फरार

भोपाल. कोहेफिजा इलाके में एक 23 साल की युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी ने सोशल मीडिया पर पहले युवती से दोस्ती की. इसके बाद उसे होटल में दुष्कर्म किया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है. आरोपी नवीन खान ने करीब एक साल पहले सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती की. शादी का वादा करते हुए आरोपी ने युवती को एक होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया. पीड़िता ने हाल ही में आरोपी पर जब शादी करने का दबाव बनाया तो वह मुकर गया.

पश्चिम मध्य रेल

शुद्धिपत्र संख्या 06/2026

निविदा सं. 30261856 जिसके खुलने की तिथि 30/06/2026 थी, जो कि इस कार्यालय की निविदा नोटिस सं. **EPS/09/2026** के तहत प्रकाशित की गई थी, इसमें निम्न संशोधन किए गए है-**निविदा सं. एवं संक्षिप्त विवरण**-30261856, **विवरण**:-AAR'H' टाइप लॉक कॉपलेर विथ ट्रांजीशन स्क्रू कपलिंग, **निविदा खुलने की तिथि- From**-30/06/2026, **निविदा की मात्रा**-56 सेट, **विकल्प खंड**-NA , **आपूर्ति की दर**-36 Nos within 02 months and balance in two parts as 50% qty. within 04 months & after 01.04.2027 but before 31.05.2027, **निविदा खुलने की तिथि- To**-15/07/2026, **निविदा की मात्रा**-92 सेट, **विकल्प खंड**-Option Clause The purchaser shall be entitled to vary the order quantity upto +30% anytime within the delivery period (including extended delivery period) on the same terms and conditions. The increase in quantity with respect to the tender quantity can be done even at the time of ordering and the tenderer shall be bound to accept the quantity so ordered on the basis of his original offer. The purchaser shall be entitled to exercise +30% option clause in one or more than one installment as long as the total variation in quantity does not exceed the limit of 30% of ordered quantity. **आपूर्ति की दर**-36 Nos within 02 months and balance quantity in two parts as First part of 50% qty within 04 months & Second part of 50% Qty. after 01.04.2027 but before 31.05.2027 । अद्धतन एवं पूर्ण जानकारी के लिए वेवसाईट https://www.ireps.gov.in देखे।

(हस्ता.)
कृते प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पमरे/जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3(1) को पढ़ें। उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ उक्त नियमों के नियम 3 को पढ़ें के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) (जिसे पहले इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता(ओं) से उनको जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए कहा गया है। उपरोक्त के संबंध में, उधारकर्ता(ओं) को एक बार फिर से नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे इंगित राशियों का भुगतान करें उधारकर्ता(ओं) का विवरण, डिमांड नोटिस की तिथि तक देय राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए दी जाने वाली सुरक्षा निम्नानुसार है:-

उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग नोटिस दिनांक और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
श्री अयाज अली, श्रीमती अमरीन अली, (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10993863)	16 जून 2026, रू. 934531/- (नौ लाख चौंतीस हजार पांच सौ इकतीस मात्र)	संपत्ति का पूरा हिस्साः खसरा नंबर 43/3/34 से बना जमीन का प्लॉट, ग्राम-इटावा नगर, तहसील-बीना, ज़िला-सागर, मध्य प्रदेश (पिन कोड 470113)। संपत्ति का प्रकारः जमीन का प्लॉट। संपत्ति का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): 1200.
श्री ओंकार राजपूत, श्रीमती विनीता चौहान ओंकार राजपूत प्लम्बर (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10262413)	09-जून-2026, रू. 665425/- (छह लाख पैंसठ हजार चार सौ पच्चीस मात्र)	संपत्ति का पूरा हिस्सा इस प्रकार हैः आराजी नंबर 2616/1 और 2616/2 से बना जमीन का प्लॉट, श्री सिद्धि विनायक कॉलोनी, पीएच नं. 60, वार्ड नंबर 34, साईं मंदिर क्षेत्र, विदिशा, म.प्र.-464001; संपत्ति का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): 525।
श्री महेंद्र यादव, श्री कैलाश नारायण यादव, श्रीमती कला बाई यादव, श्रीमती संतोष बाई यादव कृषि (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10951835)	09-जून-2026, रू. 734707/- (सात लाख चौंतीस हजार सात सौ सात)	संपत्ति का पूरा विवरण इस प्रकार हैः पट्टा नंबर 36, पीएच नं. 51, घर नंबर 23, स्थानः डुमावन, बमोरी, गुना, मध्य प्रदेश 473105 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः संपत्ति का क्षेत्रफलः 3150
श्री राजेश ओझा श्रीमती सुनीता बाई ओझा श्री खाटू श्याम जी वस्त्रालय (प्रॉस्पेक्ट नं. IL11074727)	09-जून-2026, रू. 551089/- (पांच लाख इक्यावन हजार नवासी मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो इस प्रकार हैः सर्वे नंबर 91/11(S) से निकला जमीन का प्लॉट, तहसील और ज़िला गुना, मध्य प्रदेश (पिन कोड 473001); संपत्ति का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): 600।
श्री जाहिद अली जिलानी श्रीमती नाशिला बी (प्रॉस्पेक्ट नं. 953075 एवं 791067)	16.जून.2026, रु.8,12,047/- (आठ लाख बारह हजार सैंतालीस मात्र) 791067 के लिए और रु. 2,53,438/- (दो लाख तिरेपन हजार चार सौ अड़तीस मात्र) 953075 के लिए	यह पूरी प्रॉपर्टी इस प्रकार हैः H. No. 733/B, Sector-B, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बेरसिया रोड, तहसील-हुजूर, भोपाल, 462001, मध्य प्रदेश, भारत। क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): प्रॉपर्टी का प्रकारः जमीन का क्षेत्रफल, बना हुआ क्षेत्रफल, प्रॉपर्टी का क्षेत्रफलः 450.00, 790.00।

अगर बताए गए उधारकर्ता IIFL HFL को ऊपर बताए अनुसार पेमेंट नहीं करते हैं, तो IIFL HFL ऊपर बताई गई सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ उस एक्ट की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत कार्रवाई कर सकता है। यह पूरी तरह से उधारकताओं के जोखिम, खर्च और नतीजों पर होगा। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें: ब्रांच ऑफिस - 249, द इन्फिनिटी, पहली मंज़िल, एम पी नगर जोन II, तुलसी होटल के पास, भोपाल-462011 / पहली मंज़िल, होटल सूर्य के ऊपर, प्लेटफॉर्म नंबर-1 के पास, रेलवे स्टेशन विदिशा-464001 या कॉर्पोरेट ऑफिस - IIFL टावर, प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, फेज-IV गुड़गांव, हरियाणा।

स्थानः भोपाल
दिनांकः 08.07.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए

ओरछा में होगी भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 7 जुलाई. भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक 18 और 19 जुलाई को ओरछा में आयोजित होगी. बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल करेंगे. उनके नेतृत्व में आयोजित होने वाली यह पहली प्रदेश कार्यसमिति बैठक होगी.

बैठक में 106 सदस्यीय प्रदेश कार्यसमिति, 41 स्थायी आमंत्रित सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, संभाग एवं जिला प्रभारी, विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक शामिल होंगे.दो दिवसीय बैठक में वरिष्ठ नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलेगा. बैठक में बूथ सशक्तिकरण, संगठन विस्तार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति पर विस्तृत चर्चा होगी. भाजपा का कहना है कि कार्यसमिति बैठक के माध्यम से आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के साथ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया जाएगा तथा जनसेवा और राष्ट्रसेवा के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा.

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास, अनुभाग - मल्हारगंज क्षेत्र इन्दौर, म.प्र.

[कोर्ट रूम नं. 104-105 प्रथम तल संयुक्त तहसील कार्यालय, सुपर कोरिडोर पर रेलवे ब्रिज के पास टिगरिया बादशाह जिला इंदौर)

क्रमांक/492/लोक न्यास./2026 इन्दौर, दिनांक 01/07/2026

विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक **"श्री बालाजी गणेश मारवाडी कन्या विद्यालय ट्रस्ट पता 66 भरत मार्ग, नलिया बाखल इन्दौर पंजीयन क्रमांक-75 दिनांक 17/02/1978 तर्फे अधिकृत जयनारायण दम्माणी, अरविन्द पिता कैलाशचन्द्र अग्रवाल** के द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा - 14 म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत प्रस्तुत कर ट्रस्ट की सम्पत्ति (1) मकान नम्बर 18, बडा सराफा, साइज उत्तर-दक्षिण दिशा में 113 फीट बाद पत्थर का ओटला, उत्तर की तरफ 2 फुट 4 इंच, और पूर्व-पश्चिम चौडाई उत्तर तरफ 65 फुट 6 इंच और पश्चित चौडाई दक्षिण दिशा तरफ का 72 फुट है, चौक पूरब-पश्चिम 28 फीट, उत्तर दक्षिण 30 फीट 6 इंच स्थित है। इसके अतिरिक्त (2) म्यु. मकान नम्बर 60, शीतला माता बाजार इंदौर जिसकी साईज 68 फीट 6 इंच बाय 19 फीट 3 इंच स्थित है। उक्त भूमि को विक्रय किये जाने हेतु आवेदन पत्र मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत विक्रय की अनुमति के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त संबंध में किसी संस्था या व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 17/07/2026 को इस न्यायाल के समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधी के माध्यम से मय प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जाकर प्रकरण में आपके विरूद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही कर आदेश पारित किये जायेंगें। **आज दिनांक 01/07/2026** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

पंजीयक लोक न्यास
अनुभाग-मल्हारगंज इन्दौर

भारतीय खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन महाराणा प्रताप नगर, भोपाल 462011- (म.प्र.) phone:0755-2573444, FAX: 0755-2573418, E-mail:- gmmp@fci.gov.in

ROMP-20016/1/2025-Coord-ROMP /369536 — Date-05.06.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रति मीट्रिक टन के आधार पर एफसीआई के निर्दिष्ट प्रेषण डिपो से नामित प्राप्ति डिपो तक डोर-टू-डोर डिलीवरी के आधार पर कंटेनरीकृत वैगनों में खाद्यान्न के परिवहन के लिए सेवा प्रदाता की नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है । किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

सेवानिवृत्त पीसीओ को स्कूटी भेंट की

बैरसिया, 7 जुलाई. जनपद पंचायत बैरसिया के सभागार में मंगलवार को पंचायत समन्वयक अधिकारी (पीसीओ) नागेशचंद तिवारी के सेवानिवृत्त होने पर जनपद पंचायत के कर्मचारी परिवार ने विदाई समारोह आयोजत किया.

समारोह में सेवानिवृत्त नागेशचंद तिवारी को उनके कार्यक्षेत्र अंतर्गत के सरपंचों ने एक्टिवा स्कूटी भेंट कर भावभीनी विदाई दी. कर्मचारियों ने शाल-श्रीफल और स्मृति चिंह भेंट कर उनकी 42 साल की सेवा की सराहना की. इस अवसर पर जनपद सीईओ देवेश सराठे ने तिवारी के निष्पक्ष और ईमानदारी पूर्वक किए सेवाकाल पर प्रकाश डाला. सेवानिवृत्त कर्मचारी तिवारी ने कहा कि जिंदा हाथी एक लाख तो मरा हाथी सवा लाख का होता हैं. जब भी जनपद के कर्मचारी मेरे सहयोग की जरूरत समझें, मुझे याद करें. मैं आपके हर दुख-सुख में साथ खड़ा नजर आऊंगा. इस अवसर पर पंचायत इंपेक्टर अंजना सिरोही मिश्रा, पीसीओ राजेश राज , संजय पाटिल , कमलेश शर्मा , नसीम अहमद अंसारी, भगवान सिह विश्कर्मा, बद्रीप्रसाद दांगी, हेमेंद्र सोलंकी, प्रशांत नेघी, भावेश साहू, सुमित साहू आदि उपस्थित थे.

पश्चिम मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है:- **(1) निविदा संख्या:** विद्युत-सा.-भो.-नि.-20-2026 **कार्य का नाम:** RKMP-RKMP में RRB ऑफिस की नई बिल्डिंग का इलेक्ट्रिक, टेलीकॉम और फर्नीचर का काम (इलेक्ट्रिक काम)। **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 01 माह **अनुमानित लागत:** ₹2077324.65/- **अग्रिम राशि:** ₹ 41600/- **निविदा बंद होने की तिथि व समय:** 25/07/2026, 11.00 बजे। **(2) निविदा संख्या:** विद्युत-सा.-भो.-नि.-21-2026 **कार्य का नाम:** A-भोपाल डिवीज़न - BPL-ET सेक्शन में MSO (3), ODG (1) और PRKD (2) स्टेशनों पर मौजूदा प्लेटफ़ॉर्म को ऊँचा करना। B-भोपाल डिवीज़न -BPL-BINA सेक्शन में PAI (2), BET (2), KAH (2), MABA (3) और KIKA (2) स्टेशनों पर मौजूदा प्लेटफ़ॉर्म को ऊँचा करना। C-भोपाल डिवीज़न - BPL-BINA सेक्शन में SUW (2), DWG (2), SMT (2), SUMR (2) और GLG (1) स्टेशनों पर मौजूदा प्लेटफ़ॉर्म को ऊँचा करना। **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 06 माह **अनुमानित लागत:** ₹15428017.57/- **अग्रिम राशि:** ₹ 308600/- **निविदा बंद होने की तिथि व समय:** 27/07/2026, 11.00 बजे। संपूर्ण निविदा प्रपत्र तथा निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी वेबसाइट https://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है एवं निविदा सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। निविदा/ निविदायें हेतु मैन्युअल ऑफर स्वीकार नहीं है तथा ऐसा कोई ऑफर प्राप्त होता है तो उसे मान्य नहीं किया जायेगा। इस निविदा में आवश्यक संशोधन यदि लागू हो तो वेबसाइट पर लोड कर दिया जायेगा तथा ऐसे संशोधन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाये जायेंगें जिसे निविदा बंद होने के समय तक देखा जा सकता है। ठेकेदार को निविदा में भाग लेने की पात्रता जानने के लिए एवं निविदा के साथ संलग्न करने दस्तावेज जानने के लिए IREPS पर अपलोड किए गए सभी निविदा दस्तावेजों को सभी शर्तों के साथ ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों आदि को ही निविदा को अंतिम रूप देने के लिए विचार किया जाएगा।

वरि. मंडल विद्युत इंजीनियर (सामान्य)
पश्चिम मध्य रेल, भोपाल
रानी कमलापति स्टेशन के समीप

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, **संतोष डबराल** पिता स्वर्गीय श्री शिवकुमार डबराल, आयु वयस्क, निवासी-फ्लैट नं. एफ-1, एफ-2, ई-7/31, विनय अपार्टमेंट, लाला लाजपतराय सोसाइटी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र.।

यह कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड में मेरा नाम **संतोष डबराल** दर्ज/अंकित है। जो की सही है। मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं पासपोर्ट में मेरा नाम संतोष कुमार डबराल दर्ज/अंकित है। उक्त दोनों नाम संतोष डबराल एवं संतोष कुमार डबराल एक ही व्यक्ति के नाम है। यह कि मैं अपने आधार कार्ड, पेनकार्ड में दर्ज नाम **संतोष डबराल,** अपने पासपोर्ट में दर्ज कराना चाहता हूं।

भारतीय रिज़र्व बैंक

विनियमन विभाग, नागपुर

सार्वजनिक सूचना

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश - सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, छतरपुर, मध्य प्रदेश- अवधि का विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक हित में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों के तहत 06 अक्तूबर, 2025 के निदेश द्वारा **सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, छतरपुर, मध्य प्रदेश** को 07 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने तक छह महीने की अवधि के लिए निर्देश जारी किए थे। निर्देशों की वैधता अंतिम बार 07 जुलाई 2026 के कारोबार समाप्ति तक बढ़ाई गई थी।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब **07 जुलाई 2026** को कारोबार की समाप्ति से **07 अक्तूबर 2026** को कारोबार की समाप्ति तक तीन महीने की अवधि के लिए निर्देश को आगे बढ़ा दिया है, जो समीक्षा के अधीन हैं। निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त अवधि बढ़ाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। तथापि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।

दिनांक: 08 जुलाई 2026 — **क्षेत्रीय निदेशक**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

सार्वजनिक सूचना
स्वर्ण नीलामी सह निमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (बैंक) से सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण लिया था और बार-बार याद दिलाने और नोटिस भेजने के बावजूद, वे निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। तदनुसार, बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बकाया राशि की वसूली के लिए 11.08.2026 से 13.08.2026 तक गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करेगा। उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि निरीक्षण/बोली की तिथि से पहले लागू ब्याज, शुल्क और खर्चों सहित पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का यह अंतिम अवसर है, अन्यथा नियामक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा।

ऋण खाता संख्या	ऋण लेने वाले का नाम	शाखा का नाम
179662081	सोनल जैन	हमीदिया रोड शाखा

नीलामी की स्थिति में यदि कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो वह संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी। नीलामी के बाद यदि कोई घाटा/कमी रह जाती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार रखता है। इसके अलावा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के, अपने विवेकानुसार नीलामी कार्यक्रम में संशोधन करने या उसे आगे की तिथि तक स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नीलामी का आयोजन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सूचीबद्ध नीलामी सेवा प्रदाताओं, मेसर्स श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक भौतिक रूप से किया जाएगा। यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होंगी।

नीलामी की शर्तें एवं नियम :

1) संबंधित सोने के आभूषणों की बिक्री "जैसा है, जहाँ है", "जैसा है, जो है" और "जो भी उपलब्ध है" के आधार पर होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाता के साथ पंजीकरण करना होगा और केवाईसी संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
3) बोली जमा करने से पहले आभूषणों और उनकी विशिष्टताओं का निरीक्षण करना और उनसे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता शाखा प्रबंधक से परामर्श करके आभूषणों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4) उच्चतम बोली बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
5) सफल बोलीदाता को निर्धारित समय के भीतर पूरी बिक्री राशि जमा करनी होगी, अन्यथा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
6) एक बार बेचे गए सोने के पाउच किसी भी परिस्थिति में विक्रेता को वापस नहीं किए जा सकते हैं और विजेता बोलीदाता/खरीददार द्वारा भौतिक रूप से सौंपे जाने के बाद विक्रेता किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
7) बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
8) बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।

दिनांक: 08.07.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

एसडी/-
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी

कार्यालय नगर पालिक निगम, (यांत्रिक विभाग) भोपाल

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक 15/यां.वि./2026 — भोपाल, दिनांक 7/7/2026

निम्न कार्य हेतु म.प्र लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारो से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है. विस्तृत विवरण website httpsÑ//www.mptenders.gov.in पर है.

क्रमांक	निविदा क्रमांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित लागत (रु.में)	निविदा क्रय करने का अंतिम दिनांक	निविदा क्रय करने का अंतिम समय
1.	2026_UAD_513020_2	CONSTRUCTION OF CC ROAD AND PROVIDING LAYING AND JOINTING OF SEWER LINE FROM H NO. 140A TO 110, 157 TO 176, 157 TO 199 A AT BHAWNA NAGAR WARD 67 ZONE vz SECOND CALL	19,40, 622/-	22-July-2026	05.30 PM

नोट- संशोधन वेबसाईट पर ही देखे जा सकेंगे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होंगे.

नि0250406/026/027

कार्यपालन यंत्री (सिविल)
नगर निगम भोपाल